(81)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1407–दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–5–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 165/2004–05/अपील.

.....

1–श्रीमती विजया जैन पत्नी विजय कुमार जैन
2–श्रीमती गुणमाला जैन पत्नी विनयचन्द जैन
निवासीगण सोनी कॉलोनी गुना तहसील
एवं जिला गुना

..... आवेदकगण

विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री डी0के0शुक्ला, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 13/5/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गुना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा 2400 वर्गफीट का भूखण्ड सर्वे नम्बर 771 में से कय किया गया है, जिसका व्यपवर्तन किया जावे । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 15/अ–2/2003–04 दर्ज कर दिनांक 23–3–2004 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 20–10–04 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के

आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–5–2005 को द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा विधिवत् पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रश्नाधीन भूखण्ड क्रय किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त नहीं कर प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन करना चाहिये था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत किसी भी पक्षकार को अपनी भूमि के व्यपवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के अतिरिक्त मितेश अग्रवाल, अजीत मडवारिया एवं श्रीमती मंगल अग्रवाल द्वारा भी भूखण्ड क्रय किये गये हैं और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा क्रमशः प्रकरण क्रमांक 119/2002–03, 25/2002–03 एवं 44/2002–03 में आदेश पारित कर व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्ण अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है और उनके आदेश की पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि एवं न्याय की भूल की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर व्यपवर्तन की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा समवर्ती आदेश पारित किये गये हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा

भूखण्ड क्रय किये जाने में मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के अन्तर्गत वैध कॉलोनी की प्रकिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कृषि भूमि के डायवर्सन हेतु अनापत्ति नहीं दी गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है और अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार इस निगरानी में है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2005 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर